अनुबंध

विवेकपूर्ण मानदंड - सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार

I. घरेलू परिचालन

क. निधिक जोखिम आस्तियां

	आस्ति मदें	जोखिम भार
I	**शेष**	
1	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	0
2	अन्य बैंकों के चालू खाते में शेष	20
3	बैंको पर दावे	20
II	**निवेश**	
1	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
2	केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
3	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है । (इसमें इंदिरा/किसान विकास पत्र (आइवीपी/केवीपी) में किया गया निवेश और उन बांडों और डिबेंचरों में निवेश शामिल है जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है)	2.5
4	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है। **नोट** : उन प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है और जो अनर्जक निवेश हो गए हैं, पर 102.5 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा ।	2.5
5	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती केंद्र / राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत नहीं है ।	22.5
6	सरकारी उपक्रमों की सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में ऐसा निवेश जो अनुमोदित बाजार ऋण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है ।	22.5
7	वाणिज्य बैंकों पर दावे	22.5
8	ब्याज के भुगतान और मूल धन की चुकौती के लिए बैंकों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश	22.5
9	अपनी टीयर II पूंजी के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं (पीएफआई) द्वारा जारी बांडों में निवेश।	102.5
10	सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश सहित सभी अन्य निवेश *नोट: टीयर I की पूंजी में से घटा दी गई अगोचर आस्तियों और हानियों को शून्य भार दिया जाना चाहिए।*	102.5
11.	ईक्विटी शेयरों,परिवर्तनीय बॉंड़ों,डिबेंचरों और पूंजी बाजार एक्सपोजर से छोट प्राप्त ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में प्रत्यक्ष निवेश	127.5
III	**खरीदे और भुनाए गए बिलों सहित ऋण और अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं**	
1	भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण और अग्रिम	0

2	राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण			0
3	राज्य सरकार गारंटीकृत ऐसा ऋण जो अनर्जक आस्ति बन गया है			100
4	भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को दिए गए ऋण			100
5	राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋण			100
6	सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं (पीएफआई) सहित अन्य			100
7(i)	ऋण एक्सपोजर के प्रयोजन के लिए, एल.सी. के अंतर्गत खरीदे/भुनाए गए निगोशिएट किए गए बिलों (जहां लाभार्थी को रिज़र्व के अंतर्गत भुगतान नहीं किया गया है) को एल.सी. जारीकर्ता बैंक पर एक एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा और इंटर बैंक एक्सपोजरों पर सामान्यत: लागू प्रकार से जोखिम भार लगाया जाएगा।			20
(ii)	रिज़र्व के अंतर्गत एल सी के अधीन निगोशिएट किए गए बिलों, एल सी के बिना खरीदे/भुनाए गए बिलों को उधारकर्ता घटक पर एक्सपोजर के रूप मे हिसाब में लिया जाएगा। तदनुसार, उक्त एक्सपोजर पर उधारकर्ता के अनुरूप जोखिम भार लगेगा।			
	(i)	सरकार		0
	(ii)	बैंक		20
	(iii)	अन्य		100
8	गारंटीकृत अंश तक माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीटीएमएसई) न्यास द्वारा गारंटीकृत माइक्रो और लघु उद्यम अग्रिम नोट : गारंटीकृत अंश पर बैंक शून्य जोखिम भार लगाएं। गारंटीकृत अंश से अधिक बकाया शेष पर प्रतिपक्ष के लिए जो उचित होनेवाला जोखिम भार लगेगा। दो निदर्शी उदाहरण अनुबंध 1.1 में दिए गए हैं।			0
9(क)	दृष्टिबंधन पर व्यक्तियों को आवास ऋण			
	ऋण की श्रेणी		एलटीवी अनुपात (%)	
	(क)	20 लाख रुपए तक	90	50
	(ख)	20 लाख रुपए से अधिक और 75 लाख रुपए तक	80	50
	(ग)	75 लाख रुपए से अधिक	75	75
(ख)	गारंटीकृत अंश तक न्यून आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा गारंटीकृत आवास ऋण नोट : गारंटीकृत अंश के लिए बैंक शून्य जोखिम भार लगाएं। गारंटीकृत अंश से अधिक बकाया शेष पर प्रतिपक्ष के लिए जो उचित होनेवाला जोखिम भार लगेगा।			0
10	वैयक्तिक ऋणों सहित उपभोक्ता ऋण			125
11	सोना और चांदी के आभूषणों की जमानत पर एक लाख रुपए तक के ऋण नोट: यदि ऋण राशि एक लाख रुपए से अधिक हो तो ऋण जिस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया हो उसके लिए समूची ऋण राशि पर जोखिम भार लगाया जाना है।			50
12	शैक्षिक ऋण			100
13	शेयरो/डिबेंचरों की मूल/संपार्श्विक जमानत पर दिए गए ऋण			125
14	डीआइसीजीसी/ ईसीजीसी द्वारा रक्षा प्राप्त अग्रिम नोट: 50% का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक सीमित होगा न कि खाते में बकाया संपूर्ण शेष तक। दूसरे शब्दों में, गारंटीकृत राशि से अधिक बकाया राशि पर 100% प्रतिशत जोखिम भार लगेगा ।			50

15	मीयादी जमाराशियों, जीवन बीमा पालिसियों, एनएससी, आइवीपी और केवीपी की जमानत पर अग्रिम जहां पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध है।		0
16	क्षेत्रीय बैंकों द्वारा अपने स्टाफ को दिए जानेवाले ऋण		20
17	ले जाने वाला (टेकआउट) वित्त		
	i) बिना शर्त लिया गया प्रभार (ऋणदात्री संस्था की बहियों में)		
	(क)	जहां प्रभार लेनेवाली (टेकिंग ओवर) संस्था द्वारा पूर्ण ऋण जोखिम परिकल्पित है।	20
	(ख)	जहां प्रभार लेनेवाली (टेकिंग ओवर) संस्था द्वारा आंशिक ऋण जोखिम परिकल्पित है।	
		i) लिए जानेवाले प्रभार की राशि	20
		ii) लिए न जानेवाले प्रभार की राशि	100
	ii) सशर्त लिया गया प्रभार (कंडीशनल टेक ओवर) ऋण दात्री तथा टेकिंग ओवर संस्था की बहियों में लिए जानेवाले प्रभार की राशि		100
	टिप्पणियाँ: जोखिम भार निर्धारण के प्रयोजन के लिए उधारकर्ता के सकल निधिक और गैर निधिक एक्सपोजर की गणना करते समय बैंक उधारकर्ता के कुल बकाया एक्सपोजरों के मुकाबले नेट-ऑफ कर सकते हैं।		
	क) नकद मार्जिन अथवा जमाराशि द्वारा संपार्श्विकृत अग्रिम		
	ख) उधारकर्ता के ऐसे चालू या अन्य खाते जो विशिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं हैं और किसी ग्रहणधिकार से मुक्त हैं।		
	ग) ऐसी किसी आस्ति के संबंध में जहां मूल्यह्रास अथवा अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है।		
	घ) डीआईसीजीसी/ईसीजीसी से प्राप्त और संबंधित खातों में बकाया देय राशियों के लिए समायोजित न किए जाने के मामले में समायोजन किए जाने तक एक अलग खाते में रखे गए दावे		
	ड.) विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त और एक अलग खाते में रखी गई सब्सिडियां		
IV	**अन्य आस्तियां**		
	1	परिसर, फर्नीचर और जुडनार (फिक्स्चर)	100
	2	सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
	3	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए सीआरआर शेषों पर उपचित ब्याज - @ऐसे लेनदेनों के कारण बैंकों पर सरकार/ रिज़र्व बैंक के दावों घटाने (निवल) पर	0
	4	स्रोत पर काटा गया आयकर (प्रावधान का निवल)	0
	5	प्रदत्त अग्रिम कर (प्रावधान का निवल)	0
	5	सभी अन्य आस्तियां	100
V.	**खुली स्थितियों में बाज़ार जोखिम**		
	1	विदेशी मुद्रा की खुली स्थिति में बाजार जोखिम (केवल प्राधिकृत डीलरों के लिए लागू)	100
	2	खुली स्वर्ण स्थिति में बाज़ार जोखिम	100

ख. तुलनपत्र से इतर मदें

तुलनपत्र से इतर मदों से जुड़े ऋण जोखिम एक्सपोज़र की गणना पहले तुलन पत्र से इतर प्रत्येक मद की अंकित राशि को "ऋण परिवर्तन कारक" द्वारा नीचे सारणी में बताए गए अनुसार गुणा करके की जाएगी। उसके बाद इसे ऊपर निर्दिष्ट संबंधित प्रति पक्ष (काउंटर-पार्टी) को दिए गए भारों से पुनः गुणा किया जाएगा ।

क्रम सं.	लिखत		ऋण परिवर्तन कारक (%)
1	प्रत्यक्ष ऋण प्रतिस्थापक, उदा. ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटियां (ऋणों और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटियाँ माने जानेवाले आपाति साखपत्रों सहित) और स्वीकृत बिल (स्वीकृत बिलों की विशेषता वाले परांकनों सहित)		100
2	विशेष लेनदेन से संबंधित आकस्मिक मदें (उदा. विशेष लेनदेनों से संबंधित निष्पादन बाँड, बोली बाँड, वारंटियां और आपाति साख पत्र)		50
3	अल्पावधि स्वयं समापनीय व्यापार संबंधी आकस्मिकताएं (जैसे कि विचाराधीन पोतलदान द्वारा संपार्श्विकृत दस्तावेजी ऋण)		20
4	बिक्री और पुनर्खरीद करार और आश्रय सहित आस्ति बिक्री जहां ऋण जोखिम बैंक को रहता है।		100
5	वायदा आस्ति खरीद, वायदा जमा और आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर और प्रतिभूतियां जो विशिष्ट निकासी (ड्रा डाउन) के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती हैं।		100
6	नोट निर्गम सुविधाएं और परिक्रामी हामीदारी सुविधाएं		50
7	एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वतावाली अन्य हामीदारियां (उदा. औपचारिक आपाति सुविधाएं और ऋण सुविधाएं)		50
8	एक वर्ष की मूल परिपक्वतावाली या बिना शर्त किसी भी समय निरस्त की जा सकनेवाली ऐसी ही हामीदारियां		0
9.	(i)	अन्य बैंकों की प्रतिपक्षी गारंटियों की जमानत पर बैंकों द्वारा जारी गारंटियां	20
	(ii)	बैंकों द्वारा स्वीकृत दस्तावेजी बिलों की पुनर्भुनाई (बैंकों द्वारा भुनाए गए ऐसे बिल जिन्हें अन्य बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया है, उन्हें किसी बैंक पर निधिक दावे माना जाएगा)	20
	नोट : ऐसे मामलों में बैंक इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि जोखिम एक्सपोज़र वास्तव में अन्य बैंकों पर है।		
10.	कुल बकाया विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनकी मूल परिपक्वता -		
	क) एक वर्ष से कम है		2
	ख) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके अंश के लिए		3

नोट : वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकांश तुलनपत्र से इतर लेनदेन नहीं कर रहे होंगे। तथापि, विस्तार करने की उनकी क्षमता को देखते हुए संभवतः बैंक द्वारा भविष्य में की जानेवाली विभिन्न तुलन पत्र से इतर विभिन्न मदों के सामने भार दर्शाए गए हैं।

अनुबंध 1.1

माइक्रो और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) द्वारा गारंटीकृत भार और एसएसई अग्रिम - जोखिम भार और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड (पैरा (ए) (III)(8))

जोखिम भार

उदाहरण I

सीजीटीएसआइ कवर: बकाया राशि का 75% अथवा गैर- जमानती राशि का 75% अथवा 18.75 लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो

	प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य	1.50 लाख रुपए
क)	बकाया शेष	10.00 लाख रुपए
ख)	प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य	1.50 लाख रुपए
ग)	गैर जमानती राशि (क-ख)	8.50 लाख रुपए
घ)	गारंटीकृत अंश ((ग) का 75%)	6.38 लाख रुपए
ड.)	अरक्षित अंश (रु.8.50 लाख – 6.38 लाख)	2.12 लाख रुपए
	(ख) और (ड.) पर जोखिम भार	- प्रति पक्ष से सहबद्ध
	(घ) पर जोखिम भार	- शून्य

उदाहरण II

सीजीटीएसआइ कवर: बकाया राशि का 75% अथवा गैर- जमानती राशि का 75% अथवा 18.75 लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो

	प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य	10.00 लाख रुपए
क)	बकाया शेष	40.00 लाख रुपए
ख)	प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य	10.00 लाख रुपए
ग)	गैर जमानती राशि (क-ख)	30.00 लाख रुपए
घ)	गारंटीकृत अंश ((ग) का 75%)	18.75 लाख रुपए
ड.)	अरक्षित अंश (रु.30लाख-18.75लाख)	11.25 लाख रुपए
	(ख) और (ड.) जोखिम भार	- प्रति पक्ष से सहबद्ध
	(घ) पर जोखिम भार	- शून्य